थाने-चौकियां नीलाम होंगे तो अपराध नियंत्रित नहीं हो सकता

फ़रीदाबाद (म.मो.) किसी भी सरकारी महकमे की तरह पुलिस में भी रिश्वतखोरी कोई नई बात नहीं है। लेकिन चोरी-छुपे होने वाली रिश्वतखोरी उस वक्त 'लूट' व 'डकैती' का रूप ले लेती है जब थानों, चौकियों व नाकों आदि पर तैनाती पाने वाले नकद भुगतान करके आते हैं। ऐसे में ये पुलिसकर्मी बेखौफ़ हो कर जनता को ऐसे लूटते हैं जैसे उन्होंने लूट का लाइसेंस ले रखा हो। खुली लूट मचाने वाले इन अधिकारियों की अपराध रोकथाम में कोई रुचि नहीं होती, और न अपने खिलाफ़ होने वाली किसी शिकायत की कोई चिंता रहती। उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम होता है लूट और सिर्फ़ लूट।

अधिक से अधिक लूट के लिए ये लोग़ शातिर अपराधियों, जुआरियों, तस्करों आदि से सांठगांठ करने में कोई परहेज़ नहीं करते। पिछले दिनों सेक्टर-21 में रंगदारी वसूलने वाले एक ऐसे गिरोह की ख़बर भी प्रकाश में आई थी जिसे बाकायदा पुलिस का समर्थन प्राप्त था। रंगदारी न देने पर इस गिरोह ने जब सड़क पर बैठ कर सामान बेचने वाले की पिटाई कर दी और बात चौकी-थाने तक पहुंच गयी तो दोनों के बीच पुलिस ने 'राज़ीनामा' करा दिया। जाहिर है, इस राज़ीनामे का मतलब है कि उक्त गिरोह आगे से रंगदारी वसूलता रहेगा और पिटने वाला चुपचाप रंगदारी देता रहेगा। एफआईआर तो कोई दर्ज करता ही नहीं बिना लिये-दिये या फ़िर मोटी सिफ़ारिश हो। एफआईआर तो बहुत बड़ी चीज़ है, गुमशुदगी की रपट तक रोजनामचे में मुफ़्त दर्ज नहीं होती। डबुआ कॉलोनी की एक ग़रीब महिला अपने शराबी पति की गुमशुदगी की रपट लिखाने के लिए कई महीनों से चक्कर लगा रही है। उक्त महिला के मुताबिक चौकी वालों ने उससे इस काम के लिए दस हज़ार मांगे। उक्त महिला के पुत्र की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिस पर अदालत ने कुछ मुआवज़ा देने का आदेश दिया था। महिला का पति लापता है और उसे मुआवज़ा केवल तब मिलेगा जब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे। अब भला यह कैसे संभव हो सकता है कि मुआवज़ा तो महिला उठाये और पुलिस मुफ़्त में रिपोर्ट लिख दे?

एक वक्त था जब कोई भी पुलिसकर्मी अपनी शिकायत होने से डरता था, लेकिन अब उसे कतई परवाह नहीं। पिछले दिनों पुलिस को सहयोग करने की नीयत से एक ट्रक चालक ने दिनांक 9 फ़रवरी को 100 नंबर पर फ़ोन करके सड़क पर होने वाली एक वारदात की सूचना दी थी। उस पर कोई कार्यवाही करना तो दूर, उल्टे अगले ही दिन पुलिस चौकी अनखीर ने उसे गाड़ी समेत चौकी में बैठा लिया। इसकी शिकायत दिनांक 13 फ़रवरी को एसीपी को की गई तो उन्होंने थाना प्रबंधक से रिपोर्ट मांगी। किस की क्या रिपोर्ट आई, मालूम नहीं, लेकिन बयान लेने के नाम पर शिकायतकर्ता के चक्कर जरूर कटवा दिये और चौकी इंचार्ज ज्यों का त्यों धंधा जारी रखे हुए है।

अपराध नियंत्रण के लिए बने थाने-चौकियों ने अब काफ़ी हद तक समझौते की दुकानों का रूप ले लिया है। इस धंधे में पुलिस को बिना मेहनत किये अच्छी-खासी आमदनी हो जाती है। 'मजदूर मोर्चा' के गतांक में सेक्टर-14 की पुलिस चौकी का एक मामला प्रकाशित किया गया था जिसमें दीवार फांद कर घर में घुसने वाले को ही पुलिस ने एक हज़ार रुपये, मकान में रहने वालों से दिलाये तथा खुद 1500 रुपये बतौर समझौता फ़ीस के डकारे। लेकिन शिकायत करने के बाद भी किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। यह कोई किसी एक आध चौकी या थाने की कहानी नहीं है बल्कि एक आध को छोड़ कर सब का यही हाल है; जाहिर है इससे शरारती तत्वों एवं अपराधियों की हौंसला अफ़ज़ाई होती है और वे निडरता से अपराध की दुनिया में बढ़ते जाते हैं। मौजूदा पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में बेशक अफ़सरों की संख्या बेतहाशा बढ़ गयी लेकिन पल्ले किसी के कुछ नहीं, जो कुछ भी है केवल पुलिस कमिश्नर (सीपी) के हाथ में है। किसी कर्मचारी का तबादला करना हो या कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी हो, सब कुछ सीपी के हाथ में है। इसलिए अन्य अधिकारियों के पास किसी की शिकायत भेजना ही निरर्थक है। सीपी के यहां किसी कर्मचारी की शिकायत दर्ज कराना भी कोई आसान काम नहीं। बेशक उनके कार्यालय में उप निरीक्षक रैंक का अधिकारी बतौर शिकायत क्लर्क बैठा रखा है, लेकिन वह तब तक शिकायत को दर्ज नहीं कर सकता जब तक स्वयं सीपी महोदय उसको लिखित आदेश न दें और सीपी साहब से मिल पाना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इतने बड़े ज़िले का सारा कार्यभार उनके नाजुक कंधों पर जो है।

उनके यहां शिकायत दर्ज कराने का व्यक्तिगत अनुभव इस संवाददाता को जुलाई 2010 में प्राप्त हुआ। करीब दो घंटे इंतज़ार कराने के बाद सीपी ने शिकायतकर्ता को बुलाया। थाना सूरजकुंड के एक उप निरीक्षक धर्मबीर के विरुद्ध उस शिकायत को पूरी तरह से सुन व समझ कर सीपी ने शिकायत दर्ज करवाई तथा तत्कालीन एसएचओ को फ़ोन कर तुरंत कार्यवाही के आदेश भी दिये। इसके बाद तीन बार उन्हें याद दिलाने के बावजूद कार्यवाही नाम की कोई चिड़िया आज तक भी नज़र नहीं आई है। जब सीपी को एक पत्रकार की मौजूदगी में दी गई शिकायत का यह हाल है तो बाकी का हाल समझना कोई कठिन नहीं। यह तो अब सीपी साहब ही जानें कि उनके मातहत उनका कहना नहीं मानते या वे शिकायतकर्ता के सामने कुछ और पीछे कुछ और आदेश देते हैं। दरअसल, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि जो मातहत अपने अफ़सरों को अच्छी उगाही करके देते हैं, उनके प्रति अफ़सरों का रवैया नरम होना स्वाभाविक ही है। ऐसे मातहत किसी भी शिकायत से घबराते नहीं हैं और निश्चिंत हो कर अपने उगाही के धंधे में लगे रहते हैं।

ऐसा भी नहीं है कि केवल थाने-चौकियां ही नीलाम होते हों, ज़िले भी नीलाम होते हैं। जाहिर है, जो अधिकारी नीलामी के आधार पर ज़िले की तैनाती पा कर आयेगा, वह थाने-चौकियां तो नीलाम करेगा ही। जब योग्यता के बजाय नीलामी के आधार पर तैनातियां होंगी, अपराध नियंत्रण की बात करना ही निरर्थक है। कड़े अनुशासन वाले इस महकमे में जब चौकी इंचार्ज सीधे अपने एसपी को पैसे दे कर आता हो तो वह अपने एसएचओ की क्या परवाह करेगा? इसी तरह जब एसएचओ का सीधा लेन-देन अपने एसपी से रहता है तो वह अपने डीएसपी (हल्का अफ़सर) को क्या समझेगा? इसी तर्ज पर जिस एसपी ने ज़िले का पट्टा खरीद रखा हो, उसे भला कौन अफ़सर क्या पूछ सकता है? आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी इस व्यवस्था में मौजूद कुछ एक ईमानदार व कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी अपना सिर नोचने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं!

डीसी की मूर्खता का एक और नमूना

जनता को लूटने के लिए कलेक्टर रेट बढ़ाया

फ़रीदराबाद (म.मो.) ज़मीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। यहां तक कि इसके विरोध में प्रॉपर्टी डीलर भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। भाजपा से लेकर इनेलो तक कलेक्टर रेट बढ़ाये जाने का विरोध कर रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि कलेक्टर रेट बढ़ाये जाने से आम आदमी के लिए अब ज़मीन खरीद कर मकान बनाने का सपना देखना भी मुश्किल हो जायेगा।

ज़िले भर में ज़मीनों की क्रय-विक्रय का पंजीकरण किस दर पर होगा, उस दर को कलेक्टर रेट कहा जाता है। यह दर इसलिए निर्धारित किया जाता है कि लोग सौदा तो तय करते हैं हज़ार रुपये प्रति गज की दर पर, लेकिन उसे पंजीकृत कराते हैं 100 रुपये प्रति वर्ग गज की दर पर जिससे सरकार को स्टैंप ड्यूटी का घाटा होता है और बाज़ार में काले धन का प्रचलन बढ़ता है।

18 मार्च को ज़िला कलेक्टर ने कलेक्टर रेट पांच से सात गुना तक बढ़ा दिये, जबकि इसके पहले यह वृद्धि अधिकतम 20 प्रतिशत तक होती थी। पर एकाएक कलेक्टर रेट में भारी वृद्धि कर दी गई। लोगों का कहना है कि इस वृद्धि के बाद गुड़गांव जैसे शहर नं. 1 कलेक्टर रेट फ़रीदाबाद के मुकाबले आधे भी नहीं रह गये, फ़िर यहीं यह वृद्धि क्यों की गई? किसानों का कहना है कि ज़मीन अधिग्रहण की बात सामने आने पर सरकार उन्हें सबसे कम मुआवज़ा देती है, पर अधिग्रहण के बाद कलेक्टर रेट सबसे ज़्यादा फ़रीदाबाद में ही बढ़ाये जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस वर्ष बजट में सरकार ने नये कर नहीं लगाये, पर वह बड़ी चालाकी के साथ कलेक्टर रेट बढ़ा कर बजट के घाटे को पूरा करना चाहती है। आज स्थिति यह है कि कलेक्टर रेट बढ़ाये जाने के समर्थन में कोई नहीं है। यहां तक कि अब वकील भी इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। इससे ज़्यादा घाटा प्रॉप्टी डीलरों को होगा, क्योंकि ज़मीन की खरीद-बिक्री में मंदी आयेगी, इसलिए वे इसका सबसे ज़्यादा मुखर विरोध कर रहे हैं।

कलेक्टर रेट पांच-सात गुणा बढ़ा दिये जाने से ज़मीन की खरीद-बिक्री में स्वाभाविक रूप से कमी आयेगी। कलेक्टर रेट में 20 प्रतिशत वृद्धि तक कर देने पर कोई इतनी बढ़ी हुई राशि पर टैक्स क्यों देना चाहेगा? सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह ज़मीन का भाव निर्धारित कर सके। यह तो खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच ही तय होगा और जिस कीमत पर तय होगा, सरकार को उसी पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसी हिसाब से स्टैंप ड्यूटी भी लेनी होगी।

इससे वास्तव में सरकार को घाटा होगा। अगर सरकार पांच प्रतिशत तक कलेक्टर रेट में वृद्धि करती है तो इसे चुकाने में किसी को परेशानी नहीं होगी और टैक्स चोरी नहीं के बराबर रह जायेगी। जब ज़मीन की वास्तविक कीमत पर सरकार को टैक्स मिलेगा तो उसे फायदा होगा, वरना लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि ज़मीन की कीमत बढ़ा कर उस पर सरकार स्टैंप ड्यूटी मांगे, वे उसे दे दें। सवाल उठता है, आखिर वे ऐसा क्यों करें?

जनता इस बात को साफ़-साफ़ देख रही है कि उससे विभिन्न मदों में जो टैक्स की राशि वसूली जा रही है, उससे उसकी भलाई के काम सरकार नहीं कर रही है। सारा धन सरकारी अफ़सर, ठेकेदार और नेता लूट ले रहे हैं। सरेआम घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और जनता की मेहनत की कमाई नेताओं की ऐय्याशी में खर्च हो रही है। जनता का माल हड़प-हड़प कर अफ़सर, ठेकेदार और नेता कुछ ही दिनों में करोड़पति और अरबपति बन जा रहे हैं और दूसरी तरफ जनता की माली हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती ही जा रही है।

हरियाणा सरकार ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, पर कलेक्टर रेट में मनमानी वृद्धि कर जनता को लूटने की कोशिश की। सरकार की इस लूट-खसोट की प्रवृत्ति का विरोध जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह कलेक्टर रेट में की गई भारी वृद्धि को वापस ले। दूसरी तरफ, जनता को यह साफ़-साफ़ समझ लेना चाहिए कि आज कलेक्टर रेट में हुई वृद्धि के खिलाफ़ इनेलो, भाजपा और हजकां के जो नेता और उनके कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, वह महज एक दिखावे से ज़्यादा नहीं है। ऐसा कर के वे जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। पर अगर ये सरकार में आये तो जनता को लूटने का कोई मौका हाथ से जाने न देंगे। जनता ने इनेलो-भाजपा के जनविरोधी शासन को देखा है और अब हुड्डा के शासन को भी देख रहे हैं जो हरियाणा नं.1 का नारा लगा कर जनता को लूटने के नये-नये उपाय करने में लगे हैं। रह गई भजनलाल और कुलदीप की हजकां, तो न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसलिए जनता शासकों के लुटेरे चरित्र को अच्छी तरह समझ ले और उनसे उसी तरह सावधान रहे जैसे लोग चोरों और डाकुओं से सावधान रहते हैं।

अब डीसी साहब शहर की सफ़ाई करेंगे!

फ़रीदाबाद (म.मो.) *ज़िले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते डीसी को तमाम सरकारी विभागों की निगरानी कर उन्हें सुचारू रूप से चलवाना होता है। इनमें से एक विभाग सफ़ाई का भी है जिसे मुख्यतः नगर निगम द्वारा चलाया जाता है। ज़िले के अन्य विभागों की तरह शहर की सफ़ाई व्यवस्था भी पूरी तरह से बेहाल है। प्रवीण कुमार की जगह यदि कोई बुद्धिमान एवं प्रशासनिक योग्यता वाला डीसी इस शहर में होता तो वह इसी नगर निगम की नकेल कस कर शहर की सफ़ाई व्यवस्था को ठीक कर देता; लेकिन प्रशासनिक योग्यता के अभाव में यह काम अब उन्होंने स्वयं करने का दायित्व उठा लिया है। इस काम के लिए डीसी साहब बहादुर ने अपने दोनों एसडीएम - फ़रीदाबाद व बल्लबगढ़ - को एक-एक जेसीबी मशीन, इसे बनाने वाली कंपनी से दान में ले कर दे दी है। डीसी के आदेशानुसार इस मशीन के द्वारा दोनों एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में घूम-घूम कर कूड़े के ढेरों को उठवायेंगे। उठवा कर कहां डालेंगे और क्या करेंगे, यह अभी मालूम नहीं। दोनों में से कोई सा भी एसडीएम इतना मूर्ख नहीं दिखता जो इस मूर्खतापूर्ण आदेश का पालन करने के लिए अपना असली काम, जिसके लिए उन्हें तैनात किया गया है, छोड़ कर जेसीबी मशीनों से कूड़ा-कचरा उठाता फ़िरेगा। इसके अतिरिक्त डीसी ने रेड क्रॉस संस्था को भी इस अभियान में लगाने की योजना बना डाली है। विदित है कि यह संस्था कम से कम सफ़ाई कार्य के लिए तो नहीं ही बनाई गई थी। जिस ढंग से इस संस्था को चलाया जा रहा है, उससे यह डीसी की निजी दुकान बन कर रह गई है, वह जैसे चाहे इसे चलाये, घाटा इस दुकान में कभी होता नहीं है, क्योंकि ज़िले भर से लूटा हुआ पैसा इस दुकान में आता रहता है और डीसी अपनी मन-मर्ज़ी से खर्चता रहता है। जिस प्रकार डीसी ने शहर में सफ़ाई न होती देख सफ़ाई का बीड़ा उठाया है, उसी तरह पिछले दिनों बीके अस्पताल में मरीज़ों की बदहाली देख कर अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की बजाये खुद ही ओपीडी में बैठ कर मरीज़ देखने शुरू कर दिये थे। बताते हैं कि इनके पास डॉक्टरी की भी कोई असली-नकली डिग्री है। अब देखना यह है कि ये साहब स्कूलों व कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाने का काम किस दिन शुरू करेंगे? रोडवेज की बस किस दिन चलायेंगे और बिजली के खंबों पर कब चढ़ना शुरू करेंगे? फ़िलहाल उन्होंने सफाई के साथ-साथ शहर की ट्रैफ़िक व्यवस्था सुधारने का बीड़ा भी उठा लिया है। इसके लिए वे पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने की बजाय शहर के नागरिकों को चौराहों पर खड़ा करने की योजना बना रहे हैं।*

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06